

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०-38/2023 से 52/2023 (व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों)

श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना, अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर Degree/Diploma योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०-38/2023 से 52/2023 तक के अन्तर्गत दिनांक-01.01.2024, 02.01.2024, 03.01.2024, 04.01.2024, 08.01.2024 एवं 09.01.2024 को आयोजित परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों का परीक्षा का अंक दिनांक-13.06.2024 को आयोग के Website- www.btsc.bihar.gov.in पर प्रकाशित कर दिया गया है।

Computer Based Test में योग्य (Qualified) पाये गये अभ्यर्थियों के Online आवेदनों की Scrutiny विज्ञापन में वर्णित शर्तों के अनुसार की गई। अभ्यर्थियों के दावे के अनुरूप Online आवेदन में Upload किये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर विज्ञापन के कंडिका-3(ii) में अंकित प्रावधान के अनुसार मेधाक्रम में Scrutiny किया गया। विज्ञापनवार Scrutiny किये गये अभ्यर्थियों की विवरणी उनके नाम एवं Application No. के साथ आयोग के Website- www.btsc.bihar.gov.in अथवा इस लिंक <http://103.75.167.252/DEGREE/HomePage.ASPX> पर दिनांक-06.08.2024 से 11.08.2024 के अपराह्न 06:00 बजे तक आपत्ति दर्ज करने (यदि हो तो) हेतु डाला गया है। प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात् विज्ञापनवार दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जायेगी।

अभ्यर्थी अपना Application No., मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक, अयोग्यता का कारण आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आपत्ति कारण सहित आयोग के वेबसाईट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते हैं। आपत्ति प्राप्त करने की अवधि विज्ञापनवार अलग से प्रकाशित की जायेगी।

नोट:- एक से अधिक विज्ञापन/ग्रुप के अन्तर्गत सफल अभ्यर्थियों को निदेश है कि सभी विज्ञापन/ग्रुप के अन्तर्गत प्रकाशित विवरणी अलग-अलग देख लेंगे। एक विज्ञापन/ग्रुप के अन्तर्गत दर्ज किया गया आपत्ति केवल उसी विज्ञापन/ग्रुप के अन्तर्गत विचारणीय होगा।

मेधाक्रम में नीचे के वैसे अभ्यर्थी जिनके Online आवेदन का Scrutiny आयोग द्वारा नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज नहीं कर सकेंगे। केवल Online आवेदन में उनके द्वारा किये गये दावे के अनुसार ही विवरणी प्रदर्शित रहेगी।

उक्त ऑनलाईन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई-मेल/निबंधित डाक/कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें:-

1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, अंक पत्र एवं अनिवार्य अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया है।
2. विज्ञापन के कंडिका-1(i) में अंकित शैक्षणिक अर्हता (किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित Stream/Branch में 04 वर्षीय Engineering Degree का प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित Stream/Branch में 03 वर्षीय Engineering Diploma का प्रमाण-पत्र) से इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य किया गया है।
3. योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण-पत्र (यथा- शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र, कार्यानुभव हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र) दिनांक-18.10.2023 तक का निर्गत होने पर मान्य किया गया है।

परन्तु, आयोग के पत्रांक-3105, दिनांक-16.11.2023 द्वारा विज्ञापन सं०-47/2023 (ग्रुप-10) इलेक्ट्रॉनिक्स मेकैनिक्स व्यवसाय अनुदेशक के पद अन्तर्गत अभ्यर्थियों हेतु दिनांक-18.11.2023 से 25.11.2023 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के मात्र आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र एवं कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिनांक-25.11.2023 तक निर्गत होने पर मान्य किया गया है।

4. विज्ञापन के कंडिका-1(ii) में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अन्तर्गत कार्यावधि की गणना दिनांक-19.09.2023 तक की गयी है।
5. विज्ञापन के कंडिका-1(ii) में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अन्तर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण-पत्र को अमान्य किया गया है।

साथ ही निम्न साक्ष्यों को मान्य नहीं किया जायेगा:-

- (i) GST निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण नहीं माना जायेगा।
 - (ii) Bihar Shop एवं Establishment Act के अन्तर्गत निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण को मान्य नहीं माना जायेगा।
 - (iii) संवेदक License, Contractor License के अन्तर्गत निबंधन को उद्योग के रूप में मान्यता होने का प्रमाण को मान्य नहीं माना जायेगा।
 - (iv) अभ्यर्थी के EPFO कटौती के विवरणी को अभ्यर्थी के संस्थान को उद्योग के रूप में सरकार से मान्यता होने का प्रमाण नहीं माना जायेगा।
6. विज्ञापन के कंडिका-1(iii) एवं 3(ii)(c) में वर्णित (संबंधित व्यवसाय में CITS का प्रमाण-पत्र) CITS का राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (NCVT) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र Upload नहीं करने पर CITS के अधिमानता का दावा अमान्य किया गया है।

CITS के अंकों की अधिमानता केवल जिस व्यवसाय में CITS उत्तीर्ण है, उस व्यवसाय के अन्तर्गत देय होगा। (उदाहरणार्थ :-विज्ञापन सं० 38/2023 ग्रुप-1 के अन्तर्गत 06 अलग-अलग व्यवसाय के पद है। यदि कोई अभ्यर्थी Fitter व्यवसाय में CITS उत्तीर्ण है तो उक्त अभ्यर्थी को अभी CITS का अंक ग्रुप-1 के अन्तर्गत प्रदर्शित है, परन्तु व्यवसायवार मेधासूची तैयार किए जाने के क्रम में केवल Fitter व्यवसाय के मूधासूची में CITS हेतु अधिमानता का अंक देय होगा। शेष व्यवसाय हेतु CITS की अधिमानता का अंक देय नहीं होगा।)

7. औपबंधिक (Provisional) Degree/Diploma प्रमाण-पत्र/अंक पत्र एवं औपबंधिक CITS प्रमाण-पत्र को मात्र औपबंधिक रूप से मान्य किया गया है। दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाये जाने पर वैसे अभ्यर्थियों को संबंधित परिषद्/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वैसे अभ्यर्थियों को अयोग्य करने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
8. विज्ञापन के कंडिका-3(ii)(d) के अनुसार कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा नियोजन के फलस्वरूप संपादित कार्य अवधि के समतुल्य संविदा के आधार पर पूर्व में तथा वर्तमान में कार्यरत दोनों अभ्यर्थियों को अनुमान्य किया गया है।

कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता केवल जिस व्यवसाय में कार्यानुभव प्राप्त है, उस व्यवसाय के अन्तर्गत देय है। (उदाहरणार्थ :-विज्ञापन सं० 38/2023 ग्रुप-1 के अन्तर्गत 06 अलग-अलग व्यवसाय के पद है। यदि कोई अभ्यर्थी Fitter व्यवसाय में संविदा पर कार्यरत है तो उक्त अभ्यर्थी को अभी कार्यानुभव का अंक ग्रुप-1 के अन्तर्गत प्रदर्शित है, परन्तु व्यवसायवार मेधासूची तैयार किए जाने के क्रम में केवल Fitter व्यवसाय के मेधासूची में संविदा पर कार्यरत होने हेतु कार्यानुभव हेतु अधिमानता का अंक देय होगा। शेष व्यवसाय हेतु कार्य अनुभव की अधिमानता का अंक देय नहीं होगा।)

9. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र विज्ञापन की कंडिका-3(iii) के अनुसार संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट-I में संलग्न प्रारूप में निर्गत नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है।
10. विज्ञापन के कंडिका-3(iii) में वर्णित कार्यानुभव के अन्तर्गत कार्यावधि की गणना दिनांक-19.09.2023 तक की गयी है।

11. Online आवेदन में दावा किये गये कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण-पत्र यथा- जाति प्रमाण-पत्र (SC/ST हेतु), क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (EBC/BC हेतु), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र (EWS हेतु) नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
12. Online आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण-पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
13. क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। Online Objection में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-15760, दिनांक-02.09.2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जायेगी।
14. स्वतंत्रता सेनानी के नाती-नतिनी/पोता-पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
15. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
16. विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

उपर्युक्त कारणों से अमान्य किये गये आवेदन/कोटि परिवर्तन/कार्यानुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट:- 1. प्राप्त आपत्ति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के Online आवेदनों की पुनः जाँच की जाएगी, आपत्तियों के निष्पादन एवं जाँचोपरांत दस्तावेज सत्यापन हेतु विज्ञापनवार योग्य अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जा सकेगा।


5.8.2024
प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।